

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर (राज.)

प्रेमा डेवी

विरुद्ध निशा डेवी

प्रकरण का प्रकार

रेट्रोलेशन प्राप्ति

क्रमांक

14/27

सन

2017



आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त

आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक

24-11-17

वकील शर्मा द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अर्थात् क्रमांक 51/2017/19 व सप्लीमेंट च्यास 151/2017 पर सुना गया वकील शर्मा ने निवेदन किया कि दिनांक 12-10-17 को वकील शर्मा की तर्कीयत अध्यापक स्वराज होने के कारण न्यायालय में उपर नहीं हो सवा एवम् अपील को हर पेगी पर न खाने का फेल के अपील में उपर नहीं हो सका अतः वकील के उपर न होने की सजा अपील को न ही जावे ताकि अपील का कदम न हो सके अतः आवेदन पत्र क्रमांक 51/2017/19 पर सप्लीमेंट च्यास 151/2017 को अर्थात् क्रमांक 12-10-17 निरस्त कर अपील को पुनः नये नम्बर पर दर्ज करने के अर्थात् अध्यापक शर्मा वकील शर्मा द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र क्रमांक 51/2017/19 व सप्लीमेंट च्यास 151/2017 पर वकील शर्मा एवम् अध्यापक पत्र क्रमांक 51/2017/19 व सप्लीमेंट च्यास 151/2017 को न्यायालय के अर्थात् क्रमांक 12-10-17 को निरस्त किया जाता है एवम् अपील को पुनः नये नम्बर पर दर्ज किया जावे निर्णित अध्यापक शामिल अपील को पुनः

राजस्व अपील प्राधिकारी  
श्रीगंगानगर (राज.)